न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/347
दायरा तिथि : 23.09.2022
आदेश तिथि : 01-07-2025
प्रार्थी :–

स्वरूपाराम पुत्र लच्छाराम जाति रेबारी(देवासी) निवासी बीजापुर तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. लक्ष्मीचंद पुत्र लादाजी जाति सुथार निवासी सेवाडी
2. हरीलाल पुत्र लादाजी जाति सुथार निवासी सेवाडी
3. बदामी पत्नी सोहनलाल जाति सुथार निवासी सेवाडी
4. सोहनलाल पुत्र लादाजी जाति सुथार निवासी सेवाडी
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली
6. प्रारूप स्पा एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लि0 डायरेक्टर प्रवेश जैन पुत्र डॉ. रोशनलाल जाति जैन निवासी पाली 306401

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 01/07/025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 655, 656/1 रकबा क्रमशः 1.4300 हैक्टर, 0.5100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 667 रकबा 2.4100 हैक्टर, खसरा नंबर 668 रकबा 2.8900 हैक्टर, खसरा नंबर 660 रकबा 4.6700 हैक्टर एवं खसरा नंबर 666 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/1086 दिनांक 21.09.2023 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि बीजापुर के खसरा नंबर 655 रकबा 1.4300 हैक्टर व खसरा नंबर 656/1 रकबा 0.5100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि प्रार्थी श्री स्वरूपाराम पुत्र लच्छाराम जाति रेबारी (देवासी) राहिन पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बीजापुर के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई सुगम विकल्प नहीं है। उक्त खातेदारी भूमि ग्राम पंचायत पादरला की गोचर भूमि से लगती हुई है। वर्तमान में खातेदार आवागमन के लिये खसरा नंबर 660 एवं 661 व 664 में से होकर गुजरते है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2023/59

अनवान स्वरूपाराम बनाम लक्ष्मीचंद वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	660	4.6700 हैक्टर	बा.अ.	416X5=2080 वर्गमीटर	सोहनलाल पुत्र लादाजी जाति सुथार निवासी सेवाडी
2	666	2.6100 हैक्टर	बा.अ.	22X5=110 वर्गमीटर	लक्ष्मीचंद पुत्र लादाजी जाति सुथार निवासी सेवाडी
3	667	2.4100 हैक्टर	बा.अ.	68X5=340 वर्गमीटर	हरीलाल पुत्र लादाजी जाति सुथार निवासी सेवाडी राहिन (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाली
4	668	2.8900 हैक्टर	बा.अ.	19X5=95 वर्गमीटर	1. बदामी पत्नी सोहनलाल हि0 1/2 जाति सुथार निवासी सेवाडी 2. सोहनलाल पुत्र लादाजी हि0 1/2 जाति सुथार निवासी सेवाडी
5	654	1.5200 हैक्टर	बा.अ.	16X5=80 वर्गमीटर	प्रारूप स्पा एंड रिसोर्ट्स प्रा.लि. डायरेक्टर प्रवेश जैन पुत्र डॉ रोशन लाल जैन जाति जैन

4. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,11,846/— रूपये प्रति हैक्टर है।

5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू—भाग पर अन्य क्षति का विवरण निम्नानुसार है:—

क.स.	खसरा नंबर	डी.एल.सी.दर	अन्य क्षति , वृक्ष व फसल
1	660	2,11,846/— रूपये प्रति हैक्टर	पडत भूमि मे से प्रस्तावित
2	666	2,11,846/— रूपये प्रति हैक्टर	ज्वार की फसल
3	667	2,11,846/— रूपये प्रति हैक्टर	ज्वार की फसल
4	668	2,11,846/— रूपये प्रति हैक्टर	ज्वार की फसल
5	654	2,11,846/— रूपये प्रति हैक्टर	तिल की फसल

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। अप्रार्थी संख्या 01 व 06 बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील श्री सोहनसिंह सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया लेकिन जवाब/आपत्ति पेश नहीं करने पर इनका जवाब/आपत्ति अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की ओर से वकील श्री संतोष शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी खसरा नंबर 636, 637, 638, 651, 625, 653, 654 भूमि से नजरी नक्शा में लाल स्याही से बताये गये रास्ते से खसरा नंबर 655 व 656/1 में आवागमन करता रहा है। उक्त वैकल्पिक रास्ता नजदीकी रास्ता व लघुतम रास्ता है। खसरा नंबर 651, 652, 653, 654 के खातेदार भी उक्त वैकल्पिक रास्ते से आवागमन करते है। प्रार्थी को रास्ते की परम आवश्यकता नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2023/59

अनवान स्वरूपाराम बनाम लक्ष्मीचंद वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

धारा 251 ए के अंतर्गत सुविधाजनक रास्ता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये:–

1. CITATION 2021(2) DNJ (Rev.) 1449
2. CITATION 2019 DNJ (Rev.) 262
3. CITATION 2021(1) DNJ (Rev.) 681

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 655, 656/1 रकबा क्रमशः 1.4300 हैक्टर, 0.5100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 660, 666, 667, 668, 654 से नया रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इस रिपोर्ट के सबंध में अप्रार्थी संख्या 03 व 04 का मात्र यह एतराज की रिपोर्ट तैयार करते समय मौके पर अप्रार्थीगण को नही बुलाया गया, मानने योग्य नही हैं क्योंकि मौका फर्द मौतबिरान् की उपस्थिति में तैयार की गई है। दूसरी आपत्ति यह बताई है कि खसरा नंबर 654 में प्रस्तााित रास्ते मे पक्का कमरा निर्माण है, जबकि प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से प्रमाणित हैं कि कमरा एवं कुआ को प्रस्तावित रास्ते से पृथक रखते हुये पडौस स्थित खसरा नंबर 654 में से रास्ता प्रस्तावित किया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 03 व 04 द्वारा प्रस्तुत आपत्तियॉ निराधार होने से खारिज की जाती है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति में गांव बीजापुर के खसरा नंबर 653/1 के पश्चिम दिशा में स्थित गै.मु. रास्ता खसरा नंबर 623 से होकर रास्ता का विकल्प मौजुद है, जो वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित मार्ग से लघूतम है, अतः लघुतम मार्ग से रास्ता दिलाये जाने की दलील दी। परन्तु अपनी आपत्तियो के समर्थन में प्रस्तुत नजरी नक्शा के अवलोकन से ज्ञात हैं कि वैकल्पिक मार्ग ज्यादा खसरो से होकर है, जबकि प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तावित मार्ग में मात्र खसरा नंबर 660, 666, 667, 668, 654 ही प्रभावित है। इस प्रकार प्रस्तुत आपत्तियो के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं कि प्रार्थी को वैकल्पिक मार्ग पहले से उपलब्ध हो तथा उक्त रास्ता केवल सुविधा के लिये चाहा गया है। एवं नही यह भी प्रमाणित किया कि वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित मार्ग से लघूतम मार्ग है। प्रकरण को प्रस्तुत हुये दो वर्ष 4 माह का समय व्यतित हो चुका है, जबकि इस सबंध में जारी निर्देशो के अनुसार धारा 251 ए के प्रकरण समरी प्रोसिंडिग्स होने से 90 दिवस की अवधि में निस्तारण के निर्देश दिये है। जिससे अप्रार्थी पक्ष द्वारा बिना किसी स्पष्ट सबूत के प्रस्तुत आपत्तियो अनुसार नये वैकल्पिक मार्ग में आने वाले खातेदारो को पक्षकार बनाकर प्रकरण को और अधिक डिले करना न्याय संगत प्रतीत नही है। इसके साथ ही दूसरे अप्रार्थीगणो यथा खसरा नंबर 666, 667 एवं 654 के किसी खातेदारान् द्वारा प्रस्तावित रास्ते के सबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। जिससे अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की आपत्तिया निराधार व निरर्थक होने से अस्वीकार की जाती है तथा प्रार्थी को आवेदित मार्ग तथा तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नया रिकार्डेड रास्ता नियमो के तहत उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 655, 656/1 रकबा क्रमशः 1.4300 हैक्टर, 0.5100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 667 रकबा 2.4100 हैक्टर, खसरा नंबर 668 रकबा 2.8900 हैक्टर, खसरा नंबर 660 रकबा 4.6700 हैक्टर एवं खसरा नंबर 666 रकबा 2.6100 हैक्टर खसरा नंबर 654 रकबा 1.5200 हैक्टर में से **340+95+2080+110+80=2705 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........04

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2023/59

अनवान स्वरूपाराम बनाम लक्ष्मीचंद वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 211846/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
660	4.6700 हैक्टर	416X5=2080 वर्गमीटर	22	45760X2=91520	सोहनलाल पुत्र लादाजी जाति सुथार निवासी सेवाडी
666	2.6100 हैक्टर	22X5=110 वर्गमीटर	22	2420X2=4840	लक्ष्मीचंद पुत्र लादाजी जाति सुथार निवासी सेवाडी
667	2.4100 हैक्टर	68X5=340 वर्गमीटर	22	7480X2=14960	हरीलाल पुत्र लादाजी जाति सुथार निवासी सेवाडी राहिन (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाली
668	2.8900 हैक्टर	19X5=95 वर्गमीटर	22	2090X2=4180	1. बदामी पत्नी सोहनलाल हि0 1/2 जाति सुथार निवासी सेवाडी 2. सोहनलाल पुत्र लादाजी हि0 1/2 जाति सुथार निवासी सेवाडी
654	1.5200 हैक्टर	16X5=80 वर्गमीटर	22	1760X2=3520	प्रारूप स्पा एंड रिसोर्ट्स प्रा.लि. डायरेक्टर प्रवेश जैन पुत्र डॉ रोशन लाल जैन जाति जैन
		कुल 2705 वर्गमीटर		कुल राशि 119020	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 119020/– (अक्षरे एक लाख उन्नीस हजार बीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(विनिश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 07-7-2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/859 – 863

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक स्वरूपाराम पुत्र लच्छाराम जाति रेबारी(देवासी) निवासी बीजापुर तहसील बाली को सूचनार्थ।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन

Scanned with CamScanner

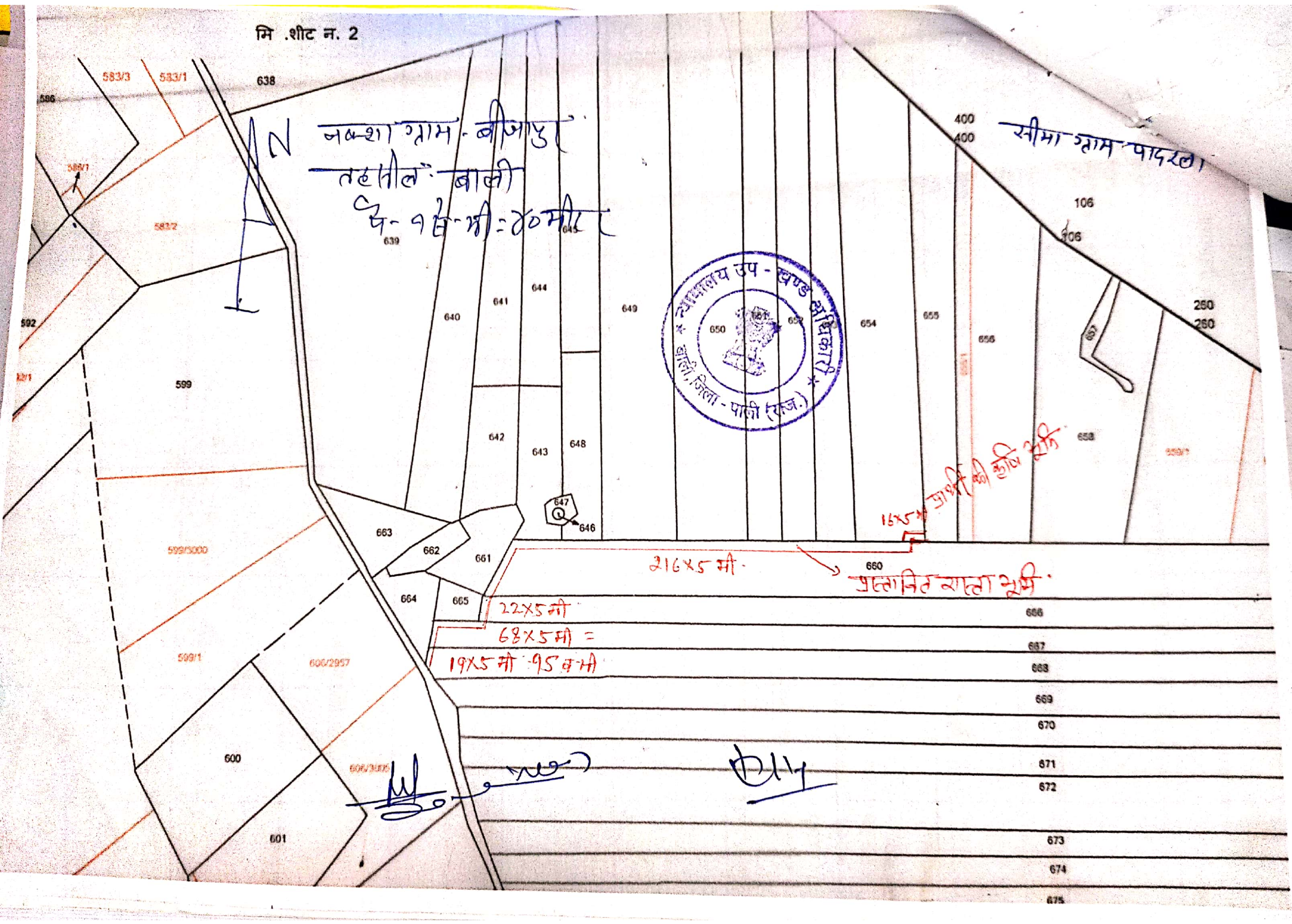

Scanned with CamScanner